संख्या- 99 / 2025 / 644 / चार-2025-1888613

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 19 मार्च, 2025

विषय:- संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 में आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों आदि के भुगतान हेतु 42- अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि का प्राविधान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5398 /सं0नि0-20(पुनर्वि0)/2023-24, दिनांक 18 फरवरी, 2025 तथा पत्र संख्या- 3809 /सं0नि0-20(पुनर्वि0)/2023-24, दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 में आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों आदि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लेखाशीर्षक - 2205-कला एवं संस्कृति- 001- निदेशन एवं प्रशासन- 03- संस्कृति निदेशालय - 42- अन्य व्यय मद में रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती हैं:-

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/ पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों / गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
6. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।
7. संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
9. वित्त विभाग के शासनादेशों एवं इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/ लेखाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक - 2205-कला एवं संस्कृति- 001- निदेशन एवं प्रशासन- 03- संस्कृति निदेशालय - 42- अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न आय-व्ययक प्रपत्र-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति एवं तत्क्रम में आवंटित आर.ई. संख्या- बजट-1-599-E-7-337-X-2024-25 दिनांक 18.03.2025 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (ई-7) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20242025-644-Reapp Culture Mahakumbh

विषय:- आयोजित/ प्रायोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों के मानदेय आदि का भुगतान किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से 42- अन्य व्यय मद में अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205008001400 (महाकुंभ-2025)	42 (अन्य व्यय)	99,79,20,000 रुपये निन्यानबे करोड़ उनासी लाख बीस हजार मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	97,79,20,000 रुपये सत्तानबे करोड़ उनासी लाख बीस हजार मात्र	2024-2025
कुल					₹ 4,00,00,000	₹ 2,00,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	2205000010300 (संस्कृति निदेशालय)	42 (अन्य व्यय)	6,00,00,000 रुपये छह करोड़ मात्र	4,00,00,000 रुपये चार करोड़ मात्र	2,00,00,000 रुपये दो करोड़ मात्र	8,00,00,000 रुपये आठ करोड़ मात्र	2024-2025
कुल				₹ 4,00,00,000	₹ 2,00,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारण:- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-599-E-7-337-X-2024-25-दिनांक:18-03-2025

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,
प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

कुंवर मकरन्द सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या: 99 / 2025 / 644 / चार-2025-1888613 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (ई-7) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।